दैनिक भास्कर

जहानाबाद-औरंगाबाद भास्कर 22-05-2026

उमगेश्वरी तालाब और सीता थापा मंदिर को मिलेगा नया स्वरूप

पर्यटन विकास, सौंदर्यीकरण और जीर्णोद्धार की तैयारियां तेज, इको-टूरिज्म हब बनाने की योजना

सिटी रिपोर्टर | औरंगाबाद

औरंगाबाद जिले के ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों को पर्यटन मानचित्र पर स्थापित करने की दिशा में जिला प्रशासन ने पहल तेज कर दी है। इसी क्रम में गुरुवार को जिला पदाधिकारी अभिलाषा शर्मा ने मदनपुर प्रखंड अंतर्गत स्थित ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व के सीता थापा मंदिर और उमंगेश्वरी तालाब का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दोनों स्थलों के संरक्षण, सौंदर्यीकरण एवं पर्यटन विकास को लेकर विस्तृत चर्चा की गई।सबसे पहले जिला पदाधिकारी ने सीता थापा मंदिर परिसर का निरीक्षण किया। निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य मंदिर के संरक्षण, समुचित जीर्णोद्धार और श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधाओं की संभावनाओं का आकलन करना था। डीएम ने मंदिर परिसर का सूक्ष्म निरीक्षण करते हुए संरचनात्मक संरक्षण, परिसर विकास, प्रकाश व्यवस्था, पेयजल, शौचालय तथा श्रद्धालुओं की अन्य सुविधाओं की स्थिति का जायजा लिया।निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि मंदिर के समग्र विकास और जीर्णोद्धार के लिए शीघ्र विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक और धार्मिक धरोहरों का संरक्षण सांस्कृतिक विरासत को बचाने के साथ-साथ पर्यटन को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास होगा।

उमगा मंदिर का निरीक्षण करती डीएम

धार्मिक स्थलों का संरक्षण, पर्यटन को बढ़ावा

जिला पदाधिकारी ने कहा कि ऐसे जलस्रोतों और धार्मिक स्थलों का संरक्षण न केवल पर्यटन को बढ़ावा देगा, बल्कि पर्यावरण संतुलन बनाए रखने और ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास में भी सहायक सिद्ध होगा। उन्होंने अधिकारियों को गुणवत्ता और समयबद्धता के साथ विकास कार्य सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।निरीक्षण के दौरान सदर अनुमंडल पदाधिकारी संतन कुमार सिंह, जिला योजना पदाधिकारी अविनाश प्रकाश मौजूद रहे।

उमंगेश्वरी तालाब को पर्यटन स्थल के रूप में किया जाएगा विकसित

जिला पदाधिकारी ने उमंगेश्वरी तालाब का स्थलीय निरीक्षण किया। यह निरीक्षण तालाब को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की संभावनाओं के आकलन के उद्देश्य से किया गया। निरीक्षण के दौरान डीएम ने तालाब की वर्तमान स्थिति, जल क्षेत्र के विस्तार, संपर्क पथ, प्राकृतिक सौंदर्य तथा आसपास उपलब्ध आधारभूत संरचनाओं का विस्तृत अवलोकन किया।उन्होंने तालाब के सौंदर्यीकरण, स्वच्छता व्यवस्था, पर्यटक सुविधाओं के विकास और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर अधिकारियों के साथ चर्चा की। जिला योजना पदाधिकारी को निर्देश देते हुए डीएम ने कहा कि संबंधित विभागों के समन्वय से तालाब को एक सुव्यवस्थित, आकर्षक और पर्यावरण-अनुकूल पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए चरणबद्ध कार्ययोजना जल्द तैयार की जाए। डीएम ने विशेष रूप से उमंगेश्वरी तालाब क्षेत्र को इको-टूरिज्म एवं इको-स्पोर्ट्स हब के रूप में विकसित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक वातावरण को सुरक्षित रखते हुए यहां नौकायन, प्रकृति भ्रमण, ओपन स्पेस गतिविधियां और पर्यावरण-अनुकूल पर्यटन सुविधाओं के विकास की संभावनाओं पर कार्य किया जाए।

गोह में पंचायतवार लगाई जाएगी 'सहयोग शिविर'

गोह | गोह प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में आम नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रखंड के सभी पंचायतों में पंचायतवार सहयोग शिविर आयोजित की जाएगी। यह शिविर पंचायत सरकार भवन, सामुदायिक भवन व मनरेगा भवन में आयोजित की जाएगी। 02 जून को बनतारा, हथियारा, अमारी, तेयाप, 16 जून को उपहारा व हसामपुर, 07 जुलाई को मिरपुर व भुरकुंडा, 21 जुलाई को बाजार बर्मा, बेरकप्र, गोह, फागा, 18 अगस्त को दधपी व देवहरा, 01 सितंबर को बर्मा खुर्द, मलहद, बक्सर जबकि 10 सितंबर को चापुक व झिकटिया पंचायत में शिविर का आयोजन होगा।

आतंकवाद और हिंसा के खिलाफ एकजुट हुआ औरंगाबाद, थानों से लेकर दफ्तरों तक शपथ ग्रहण

मानवता के लिए खतरा है आतंकवाद, सामूहिक जागरूकता से ही मिलेगी मात

सिटी रिपोर्टर | औरंगाबाद

आतंकवाद एवं हिंसा के विरुद्ध जनजागरूकता फैलाने और समाज में शांति, सद्भाव एवं राष्ट्रीय एकता को मजबूत बनाने के उद्देश्य से गुरुवार को औरंगाबाद समाहरणालय सभा कक्ष में आतंकवाद विरोधी दिवस का आयोजन किया गया। गृह विभाग (विशेष शाखा) के निर्देशानुसार आयोजित कार्यक्रम में जिले के अधिकारियों एवं कर्मियों ने आतंकवाद और हिंसा के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष करने की शपथ ली।

कार्यक्रम जिला पदाधिकारी अभिलाषा शर्मा के निर्देशानुसार आयोजित किया गया, जिसमें उप विकास आयुक्त अनन्या सिंह ने उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आतंकवाद विरोधी शपथ दिलाई। शपथ के दौरान सभी ने भारत की अहिंसा, सहनशीलता एवं लोकतांत्रिक परंपराओं में अपनी आस्था व्यक्त करते हुए हर प्रकार के आतंकवाद एवं हिंसा का डटकर विरोध करने का संकल्प लिया।इस दौरान अधिकारियों एवं कर्मियों ने यह भी संकल्प लिया कि वे समाज के सभी वर्गों के बीच शांति, सामाजिक सद्भाव, आपसी भाईचारा और समझ को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयासरत रहेंगे। साथ ही मानव जीवन मूल्यों और लोकतांत्रिक व्यवस्था को चुनौती देने वाली विघटनकारी शक्तियों के विरुद्ध मजबूती से खड़े रहने की प्रतिबद्धता जताई।

कलेक्ट्रेट में आतंकवाद विरोधी दिवस पर शपथ लेते पदाधिकारी

सभी सरकारी कार्यालयों में भी आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया गया

समाहरणालय में आयोजित कार्यक्रम के अतिरिक्त जिला पदाधिकारी के निर्देश पर जिले के विभिन्न सरकारी कार्यालयों में भी आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया गया। सभी कार्यालयों में पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों ने शपथ ग्रहण कर आतंकवाद एवं हिंसा के खिलाफ जागरूकता फैलाने का संकल्प लिया।

सभी थाना परिसरों में भी आतंकवाद विरोधी दिवस पर शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन

इधर जिले के सभी थाना परिसरों में भी आतंकवाद विरोधी दिवस पर शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। पुलिस पदाधिकारियों एवं जवानों ने देश की सुरक्षा, शांति व्यवस्था एवं सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। थाना स्तर पर आयोजित कार्यक्रमों में पुलिसकर्मियों ने आतंकवाद, उग्रवाद एवं असामाजिक गतिविधियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने तथा आम लोगों में सुरक्षा एवं जागरूकता की भावना विकसित करने का संकल्प लिया।

जिला प्रशासन ने इस अवसर पर आम नागरिकों से भी अपील करते हुए कहा कि समाज में शांति, एकता और सद्भाव बनाए रखने में प्रत्येक व्यक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों से बचने, सामाजिक सौहार्द बनाए रखने तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत प्रशासन एवं पुलिस को देने की अपील की।

आतंकवाद समाज और मानवता के लिए खतरा

समारोह को संबोधित करते हुए अधिकारियों ने कहा कि आतंकवाद केवल किसी एक व्यक्ति या क्षेत्र के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज और मानवता के लिए गंभीर खतरा है। इसके खिलाफ सामूहिक जागरूकता और सामाजिक एकता ही सबसे बड़ा हथियार है। उन्होंने कहा कि देश की एकता, अखंडता और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है।कार्यक्रम में अपर समाहर्ता अनुग्रह नारायण सिंह, अपर समाहर्ता (विशेष शाखा) मोहम्मद सादुल हसन खां, जिला पंचायत राज पदाधिकारी इफ्तेखार अहमद, सदर अनुमंडल पदाधिकारी संतन कुमार सिंह, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी श्वेता प्रियदर्शी, वरीय उपसमाहर्ता बेबी प्रिया, जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी कुमार पप्पू राज, डीपीओ आईसीडीएस श्रीमती विनीता कुमारी, सहायक योजना पदाधिकारी प्रियंका कुमारी तथा सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग महेशानंद सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी, प्रधान सहायक एवं बड़ी संख्या में कर्मी उपस्थित रहे।

सड़क निर्माण में अनियमितता का आरोप

सिटी रिपोर्टर | मदनपुर

मदनपुर प्रखंड के बनिया पंचायत अंतर्गत मोती बिगहा पथ से अंबेडकर नगर पथ में छुटे हुए भाग में सड़क निर्माण का कार्य ग्रामीण कार्य विभाग औरंगाबाद के द्वारा किया जा रहा है। इस कार्य में घोर अनियमितता बरती जा रही है। इस मामले में राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के जिलाध्यक्ष संजीव कुमार सिंह ने जिला पदाधिकारी से जांच की मांग की है। उन्होंने आवेदन के माध्यम से कहा है कि इस सड़क निर्माण कार्य के संवेदक मेसर्स कृष्णराज कंस्ट्रक्शन हैं।यह सड़क पहले पूर्ण रूप से कच्ची पगडंडी थी। संवेदक के द्वारा इस सड़क निर्माण में मिट्टी भराई कार्य नाममात्र का किया गया है। मिट्टी भराई कार्य में घोर अनियमितता बरती गई है। मिट्टी भराई कार्य में रौलर से नाममात्र के रौलीग किया गया है उसी पर जीएसबी डाल दिया गया जो प्राक्कलन के अनुरूप नहीं है। पुनः ग्रेड 2 भी सड़क में बिछाया जा रहा है। बाौर पटवन किए हुए मिनी रौलर के द्वारा रौलीग किया जा रहा है। सड़क निर्माण में कलभरट जो बनाया गया है वह घटिया किस्म से बनाया गया है। बरसात के दिनों में अत्यधिक पानी के बहाव से कमजोर बन रहे सड़क टुट जाएगा।

अनुमंडल अस्पताल की डीएस ने डॉक्टर से मांगा स्पष्टीकरण

भास्कर न्यूज | दाउदनगर

सड़क दुर्घटना में घायल एक युवक की पटना ले जाने के दौरान हुई मौत के बाद दाउदनगर अनुमंडल अस्पताल की प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह सख्त हो गई है। मामले की संवेदनशीलता और जनभावनाओं को देखते हुए अनुमंडल अस्पताल की प्रभारी उपाधीक्षक (डीएस) डॉ. शांता कुमारी ने त्वरित एवं कड़ा रुख अपनाते हुए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। अस्पताल में चिकित्सकीय व्यवस्था को बेहतर और जवाबदेह बनाने की दिशा में कार्रवाई शुरू कर दी गई है।घटना के समय ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक डॉ. विकास कुमार पर कर्तव्यहीनता और उपचार में कथित लापरवाही के आरोपों को गंभीरता से लेते हुए उपाधीक्षक ने उन्हें कारण बताओ (शो-कॉज) नोटिस जारी किया है। नोटिस में उनसे पत्र प्राप्ति के 24 घंटे के भीतर लिखित स्पष्टीकरण मांगा गया है कि गंभीर रूप से घायल मरीज के उपचार में शिथिलता क्यों बरती गई और समय पर समुचित चिकित्सकीय व्यवस्था उपलब्ध क्यों नहीं कराई गई।

मामले के बाद अस्पताल प्रशासन ने यह स्पष्ट संकेत दिया है कि मरीजों के उपचार में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

ज्ञान ज्योति शिक्षण केन्द्र में छात्राओं में बंटा छाता

दाउदनगर | दाउदनगर पुरानाशहर स्थित ज्ञान ज्योति शिक्षण केन्द्र में इंटर वर्ग की छात्राओं के बीच भीषण गर्मी एवं चिलचिलाती धूप से बचाव के उद्देश्य से छाता वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। संस्था के निदेशक सह सम्पूर्णानंद एजुकेशनल एंड सोशल डेवलपमेंट ट्रस्ट के सचिव डॉ. चंचल कुमार ने छात्राओं के बीच छाते वितरित किए।इस अवसर पर कहा कि जिन छात्राओं के अंदर पढ़ने का जुनून और आगे बढ़ने की लगन होती है, संस्था हमेशा उनकी सहायता के लिए तत्पर रहती है। उन्होंने कहा कि ये बच्चियां समाज की बेटियाँ हैं और इन्हें सुरक्षित रखना हम सभी का परम कर्तव्य है।

जिला जज की पहल पर महिला वकीलों को विधि संध में प्रतिनिधित्व पर बनी सहमति

सिटी रिपोर्टर | दाउदनगर

दाउदनगर विधि संघ परिसर में गुरुवार को तत्कालीन अध्यक्ष निरंजन कुमार की अध्यक्षता में अधिवक्ताओं की बैठक आयोजित की गई। बैठक में महिला अधिवक्ता द्वारा जिला जज के समक्ष की गई शिकायत पर विचार करते हुए समाधान निकाला गया। जिला जज की पहल के बाद महिला अधिवक्ताओं को विधि संघ की विभिन्न समितियों में प्रतिनिधित्व देने का निर्णय लिया गया।जानकारी के अनुसार, विधि संघ चुनाव के नामांकन की अंतिम तिथि पर महिला अधिवक्ता रीना कुमारी नामांकन प्रपत्र लेने निर्वाचन कार्यालय पहुंची थीं। आरोप है कि निर्वाची पदाधिकारी द्वारा उन्हें यह कहते हुए नामांकन पत्र देने से मना कर दिया गया कि वे निर्धारित अहर्ता पूरी नहीं करती हैं। इसके बाद रीना कुमारी ने जिला जज औरंगाबाद राजीव रंजन कुमार के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी।शिकायत पर संज्ञान लेते हुए जिला जज ने बुधवार को दोनों पक्षों को अपने कार्यालय कक्ष में बुलाकर मामले की सुनवाई की। दोनों पक्षों की बातें सुनने के बाद जिला जज ने स्पष्ट कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार महिलाओं को चुनाव में 30 प्रतिशत आरक्षण देना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि यदि इस निर्देश का पालन नहीं किया गया तो चुनाव भी रद्द किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जहां चुनाव प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, वहां भी मनोनयन के माध्यम से महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए।जिला जज की पहल के बाद गुरुवार को विधि संघ परिसर में बैठक हुई।

बैठक में शामिल दाउदनगर विधि संघ के अधिवक्ता

बैठक में निर्वाची पदाधिकारी नंद कुमार सिंह ने बताया कि मतदाता सूची में कुल पांच महिला सदस्य शामिल हैं। इनमें से कुमारी निकुंज रानी एवं रीता सिन्हा पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हो चुकी हैं। शेष तीन महिलाओं को भी विभिन्न पदों पर मनोनीत करने का निर्णय लिया गया। इसके तहत रीना कुमारी को कार्यकारिणी सदस्य, कांति देवी को वरीय कार्यकारिणी सदस्य तथा अनुराधा कुमारी को निगरानी समिति का सदस्य बनाए जाने का फैसला लिया गया। बताया गया कि कार्यकारिणी सदस्य के छह पद पहले ही भर चुके हैं, इसलिए एक सदस्य का नामांकन वापस लिया जाना आवश्यक था। इसको लेकर सभी संबंधित सदस्यों को बैठक में बुलाया गया। बैठक के दौरान अधिवक्ता ललन सिंह ने पहल करते हुए कहा कि वे सुधीर कुमार मख्यान का नामांकन वापस कराने के लिए प्रयास करेंगे।

अनुग्रह स्कूल की बच्चियों ने सर्वाइकल कैंसर से बचाव को लिया एचपीवी वैक्सीन

सिटी रिपोर्टर | औरंगाबाद सदर

जिला मुख्यालय स्थित पीएम श्री अनुग्रह मध्य विद्यालय में स्कूल के प्राचार्य उदय कुमार सिंह के निर्देशन में दर्जनों बच्चियों ने एचपीवी वैक्सीन्स लिए और सर्वाइकल कैंसर से बचाव हेतु भारत सरकार के चल रहे वैक्सीनेशन प्रोग्राम का हिस्सा बनें। प्राचार्य ने बताया कि विद्यालय की निर्दिष्ट उम्र सीमा की लड़कियों ने उत्साह के साथ वैक्सीन्स लिए। कुछ ने वैक्सीन्स का सेकंड डोज लिया कुछ ने सिंगल डोज लिया।जिला स्वास्थ समिति के द्वारा 14 से 15 साल के बीच की बच्चियों को निःशुल्क वैक्सीन्स दिये जा रहे हैं और ये बिल्कुल सुरक्षित है। जम्होर पीएचसी के डॉक्टर्स डॉ सुशील कुमार डॉ रवि शंकर एवं स्वास्थ्यकर्मी वैद्यनाथ प्रसाद की उपस्थिति में तीन नर्सिंग सिस्टर्स ने बच्चियों को वैक्सीनेट किया।वैक्सीनेशन के पूर्व डॉक्टर्स ने बच्चियों को वैक्सीन्स के बारे में पूरी जानकारी दिए एवं बताया सर्वाइकल कैंसर से बचाव हेतु यह अचूक रूप से कार्य करती है। विद्यालय में स्कूल हेल्थ एवं वैलनेस प्रोग्राम की एम्बासडर्स शिक्षिका नैयर शाहीन एवं आभा कुमारी ने बच्चियों एवं उनके पैरेंट्स को प्रभावी तरीके से काउंसिलिंग कर बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। हेडमास्टर उदय कुमार सिंह ने दोनों के महती प्रयासों को सराहा एवं साधुवाद दिये।

कुंदन हत्याकांड के विरोध में विशाल कैंडल मार्च

भास्कर न्यूज | दाउदनगर

प्रखंड के केशराड़ी निवासी कुंदन यादव की हत्या के विरोध में बुधवार की देर शाम दाउदनगर शहर में विशाल कैंडल मार्च निकाला गया। ओबरा के पूर्व विधायक ऋषि कुमार यादव एवं पूर्व विधायक वीरेंद्र कुमार सिन्हा के नेतृत्व में आयोजित इस कैंडल मार्च में बड़ी संख्या में सामाजिक, राजनीतिक एवं विभिन्न संगठनों से जुड़े लोग शामिल हुए। हाथों में मोमबत्तियां और न्याय की मांग से जुड़े पोस्टर लेकर लोगों ने शांतिपूर्ण ढंग से मार्च निकालते हुए दिवंगत कुंदन यादव को श्रद्धांजलि अर्पित की तथा दोषियों की अविलंब गिरफ्तारी की मांग उठाई।

कैंडल मार्च मौलाबाग स्थित सिंचाई विभाग की आईबी परिसर के समीप से शुरू हुआ, जो शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए भखरुआं मोड़ पहुंचकर समाप्त हुआ। इस दौरान "कुंदन यादव को न्याय दो", "हत्यारों को गिरफ्तार करो" और "अपराधियों पर कार्रवाई करो" जैसे नारों से पूरा इलाका गूंजता रहा। मार्च में शामिल लोगों ने कहा कि घटना को लगभग 48 घंटे से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन अब तक पुलिस द्वारा न तो मामले का खुलासा किया जा सका है और न ही किसी अपराधी की गिरफ्तारी हो सकी है, जिससे लोगों में भारी आक्रोश है।

मार्च में शामिल पूर्व विधायक वीरेंद्र कुमार सिन्हा, ऋषि कुमार एवं अन्य

पूर्व विधायक वीरेंद्र कुमार सिन्हा ने कहा कि दाउदनगर में लगातार अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं और आम लोगों में भय का माहौल बनता जा रहा है। उन्होंने सरकार एवं प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि यदि जल्द से जल्द हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना समाज और प्रशासन दोनों की जिम्मेदारी है।वहीं पूर्व विधायक ऋषि कुमार यादव ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में अपराधियों का मनोबल लगातार बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह कोई सामान्य घटना नहीं है, बल्कि सुनियोजित तरीके से अंजाम दी गई वारदात है।

प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत लगा विशेष स्वास्थ्य जांच शिविर

एनीमिया पीड़ित गर्भवतियों को दी गई एफसीएम थेरेपी

सिटी रिपोर्टर | दाउदनगर

दाउदनगर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में गुरुवार को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में क्षेत्र की बड़ी संख्या में गर्भवती महिलाएं पहुंचीं, जहां चिकित्सकों की टीम ने उनका स्वास्थ्य परीक्षण कर आवश्यक परामर्श, उपचार एवं दवाएं उपलब्ध कराईं। शिविर का नेतृत्व प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. अनमोल कुमार एवं चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. विक्रम मेहता ने किया।शिविर के दौरान गर्भवती महिलाओं की पैथोलॉजिकल जांच, ब्लड प्रेशर, वजन, हीमोग्लोबिन सहित अन्य आवश्यक स्वास्थ्य संबंधी परीक्षण किए गए। जांच के क्रम में कई महिलाओं में खून की कमी यानी एनीमिया की समस्या पाई गई। जिन महिलाओं में हीमोग्लोबिन की मात्रा आठ ग्राम से कम पाई गई, उन्हें चिकित्सकों द्वारा फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज (एफसीएम) थेरेपी दी गई। इस दौरान लगभग आधा दर्जन महिलाओं को एफसीएम इंजेक्शन लगाया गया, ताकि शरीर में आयरन की कमी को दूर किया जा सके और गर्भावस्था के दौरान संभावित जटिलताओं से बचाव हो सके।

प्रत्येक माह की 9, 15 एवं 21 तारीख को मातृत्व दिवस मनाया जाता

स्वास्थ्य प्रबंधक आयुषी अश्वनी वर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत प्रत्येक माह की 9, 15 एवं 21 तारीख को विशेष मातृत्व दिवस मनाया जाता है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित मातृत्व सेवाएं उपलब्ध कराना, समय पर स्वास्थ्य जांच सुनिश्चित करना तथा मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाना है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को जागरूक करने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है, ताकि हर गर्भवती महिला सुरक्षित प्रसव मिले।

एनीमिया के कारण प्रसव के समय कई प्रकार की जटिलताएं उत्पन्न हो सकती है

प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. अनमोल कुमार ने बताया कि गर्भावस्था के दौरान खून की कमी मां और गर्भस्थ शिशु दोनों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन सकती है। उन्होंने कहा कि एनीमिया के कारण प्रसव के समय कई प्रकार की जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं। ऐसे में समय-समय पर स्वास्थ्य जांच और उचित उपचार बेहद जरूरी है। उन्होंने गर्भवती महिलाओं को नियमित रूप से स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर जांच कराने और चिकित्सकों की सलाह का पालन करने की अपील की।वहीं चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. विक्रम मेहता ने कहा कि गर्भवती महिलाओं को आयरन एवं पोषक तत्वों से भरपूर भोजन का सेवन करना चाहिए। हरी सब्जियां, दाल, फल एवं आयरन युक्त खाद्य पदार्थों को दैनिक आहार में शामिल करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि चिकित्सकों द्वारा दी गई दवाओं का नियमित सेवन और जांच में लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए।

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक ! | punjab national bank ...the name you can BANK upon !

सम्पति वसूली प्रबंधन शाखा
ओल्ड जीटी रोड, औरंगाबाद, बिहार-824101

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 9(1) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय सम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना

एतद्द्वारा सामान्य रूप से जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता (ओं) और गारंटर (ओं) को नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति सुरक्षित लेनदार के पास गिरवी / चार्ज की गई है, जिसका रचनात्मक/भौतिक/प्रतीकात्मक कब्जा उसके द्वारा ले लिया गया है। बैंक के प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित ऋणदाता को अपने बकाया की वसूली के लिए नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित तिथि पर 'जैसा है जहां है', 'जैसा है जो है' और 'जो कुछ भी है' पर बेचा जाएगा। संबंधित उधारकर्ता (ओं) और गारंटर (गारंटरों) से सुरक्षित लेनदार, आरक्षित मूल्य और बयाना राशि जमा नीचे दी गई तालिका में सम्बंधित सम्पत्तियों के अनुसार होगी।

परिशिष्ट- IV-A [नियम 9(1) का प्रावधान देखें] (सुरक्षित परिसंपत्तियों की अनुसूची)

लॉट न.	शाखा का नाम / खाते का नाम / उधारकर्ता/गारंटर के खाते का नाम एवं पता	गिरवी रखी गई अचल संपत्तियों का विवरण/मालिक का नाम (संपत्ति को गिरवी रखने वाले)	(क) सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के तहत मांग सूचना की तिथि (ख) मांग सूचना के अनुसार बकाया राशि (ग) सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के तहत कब्ज़ा की तिथि (घ) कब्जे की प्रकृति	क) आरक्षित मूल्य (लाख रुपये में) ख) ईएमडी ग) बोली वृद्धि राशि	ई-नीलामी की तिथि/समय	सुरक्षित लेनदारों को ज्ञात ऋणभारों का विवरण
1	पीएनबी-ओल्ड जीटी रोड औरंगाबाद (608300) मेसर्स माँ शक्ति राइस मिल (प्रो.-सुरेंद्र यादव) श्री सुरेंद्र यादव पिता श्री रामचन्द्र यादव, पता- ग्राम-सिलाल खुर्द,थाना -देव, जिला-औरंगाबाद, बिहार-824102 श्री अरुण कुमार पिता श्री जगदीश सिंह, श्री जसवन्त कुमार पिता स्वर्गीय जुगल सिंह, श्री जगदीश सिंह पिता श्री बुटाई सिंह पता- ग्राम+पोस्ट -खैरा, थाना -बारून, जिला-औरंगाबाद बिहार-824112 खाता संख्या-60830087000000712 608300IL00000042	संपत्ति का साम्यिक बंधक जिसका सेल डीड संख्या 11092 दिनांक 29/09/2011,खाता संख्या- 3, प्लॉट संख्या- 130, क्षेत्रफल- 6 डेसीमल मौजा - सिलार खुर्द, थाना संख्या-911, थाना-देव, जिलाः-औरंगाबाद, श्री सुरेंद्र यादव पिता रामचन्द्र यादव के नाम पर है। चौहद्दी : उत्तर -ग्रामीण सड़क, दक्षिण- रमेश यादव, पूर्व- निज खरीदार, पश्चिम- लोहडी यादव एवं अजय यादव। संपत्ति का साम्यिक बंधक जिसका सेल डीड संख्या13547 दिनांक 01/12/2016,खाता संख्या 75, प्लॉट संख्या 1486, क्षेत्रफल- 6 डेसिमलमौजा- बारून, थाना संख्या 155,थाना- बारून, जिलाः औरंगाबाद, श्री सुरेंद्र यादव पिता रामचन्द्र यादव के नाम पर है। चौहद्दी : उत्तर- अरुण कुमार,दक्षिण- जनेश्वर सिंह और देवंती कुंवर,पूर्व- भीम सिंह, पश्चिम- रास्ता एवं लक्ष्मण सिंह।	क) 28.06.2021 ख) रु. 62,02,745.61/- + अतिरिक्त ब्याज ग) 23.05.2022 घ) प्रतीकात्मक	क) रु. 2,80,500/- ख) रु. 28,500/- ग) रु. 50,000/- क) रु. 18,96,350/- ख) रु. 1,89,635/- ग) रु. 50,000/-	दिनांक 08.06.2026 को दोपहर 12:00 बजे से शाम 16:00 बजे तक	ज्ञात नहीं

नियम एवं शर्तें : बिक्री सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 में निर्धारित नियमों एवं शर्तों और निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:
1. संपत्तियों को 'जैसा है जहां है के आधार पर' और 'जैसा है जो है के आधार पर' और 'जो कुछ भी है' के आधार पर बेचा जा रहा है। 2. यहां ऊपर अनुसूची में निर्दिष्ट सुरक्षित संपत्तियों का विवरण प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार बताया गया है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस उद्घोषणा में किसी भी त्रुटि, गलत विवरण या चूक के लिए जवाबदेह नहीं होगा। 3. बिक्री अधोहस्ताक्षरी द्वारा वेबसाइट https://baanknet.com पर उपलब्ध ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से 08.06.2026 को दोपहर 12.00 बजे से शाम 16.00 बजे तक की जाएगी। 4. बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तों के लिए, कृपया https://baanknet.com और www.pnbindia.in देखें। 5. प्राधिकृत अधिकारी को किसी भी बोली को स्वीकार करने या सभी बोलियों को अस्वीकार करने, यदि स्वीकार्य न हो, या किसी भी समय बिना कोई कारण बताए नीलामी की शर्तों को स्थगित/रद्द/स्थगित/बंद करने या बदलने का अधिकार सुरक्षित है एवं इस संबंध में उसका निर्णय अंतिम होगा।

सरफेसी अधिनियम, 2002 के नियम 9(1) के तहत वैधानिक बिक्री सूचना (विवाद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा) प्राधिकृत अधिकारी